रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थालय
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT. OF INDIA
भारत सरकार

सं. 13] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 18, 1990/चैत्र 28, 1912
No. 13] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 18, 1990/CHAITRA 28, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1990

सं. पीएसबी/स्टाफ/ओएसआर/1990 :—बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) के खण्ड 19 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह एवं केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक मण्डल के सदस्य एतद्द्वारा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाते हैं।

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :—

(1) इन विनियमों को पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1982 कहा जाएगा।

(2) यह विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

विनियम 3(1) और 3(2) में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है :—

3(1) "वेतन" (पे) से अर्थ गत्यावरोध वेतनवृद्धि सहित मूल वेतन से हैं।

3(2) "वेतन" (सेलरी) से अर्थ वेतन और मंहगाई भत्ते के योग से हैं।

1-2-1987 से विनियम 4(1) में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है :—

4(1) 1-2-1984 से अधिकारियों के उनके सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान के अनुसार निम्नलिखित 4 श्रेणियां होंगी :—

(क) उच्च कार्यकारी श्रेणी :

वेतनमान-7 =रु. 4100-125-4600
वेतनमान-6 =रु. 3850-125-4350

(ख) वरिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी :

वेतनमान-5 =रु. 3575-110-3685-115-3800
वेतनमान-4 =रु. 2925-105-3450

(ग) मध्य प्रबन्धन श्रेणी :

वेतनमान-3 =रु 2650-100-3250
वेतनमान-2 =रु. 1825-100-2925

(घ) कनिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी :

वेतनमान-1 =रु. 1175-60-1475-70-1895
द.रो.-95-2275-100-2675.

1-11-1987 से प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे :—

(क) अध्व कार्यकारी श्रेणी :

वेतनमान-7 =रु. 6400-150=7000.
वेतनमान-6 =रु. 5950-150-6550.

(ख) वरिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी :

वेतनमान-5 =रु. 5350-150=5950.
वेतनमान-4 =रु 4520-130-4910-140-5050-150-5350.

(ग) मध्यम प्रबन्धन श्रेणी :

वेतनमान-3 =रु. 4020-120-4260-130-4910
वेतनमान-2 =रु. 3060-120-4260-130-4390

(घ) कनिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड :

वेतनमान-1 =रु. 2100-120-4020.

बशर्ते कि प्रत्येक अधिकारी जो भारत सरकार द्वारा विनियम 8 के अन्तर्गत जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उस वेतनामन में रखा जाकर नियत तारीख को लागू वेतनमान में नियंत्रित होता है, उसे सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अपरोक्त वेतनमान में रखा जाएगा।

1-11-1987 से विनियम 5(1) को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है :—

5(1) 1-11-1987 से वेतनवृद्धि निम्न उपखंडों के अनुसार स्वीकृत होगी :—

(क) विनियम 4(1) में विनिर्दिष्ट वेतनमानों के अनुसार वेतनवृद्धि संस्वीकृत प्राधिकारी की स्वीकृति अनुसार, वार्षिक आधार पर उपादित और नियत महीने के पहले दिन से देय होगी।

(ख) वेतनमान 1 और 2 के अधिकारियों को अपने संबंधित वेतनमानों की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के बाद तक गत्यावरोध वेतनवृद्धि सहित अतिरिक्त वेतनवृद्धि नीचे (ग) में विनिर्दिष्ट क्षमताअवरोध को पार कर जाने पर अगले उच्चतर वेतनमान तक दी जायेगी।

(ग) ऊपर (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों सहित जो मध्यम प्रबन्धन ग्रेड वेतनमान -2 और 3 की अधिकतम सीमा तक पहुंच जाते हैं वे वेतनमान-2 और वेतनमान-3 के अंतिम चरण तक पहुंचने और अपनी 3 साल की सेवा पूरी करने के बाद गत्यावरोध वेतनवृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे ऐसी स्थिति में वेतनमान-2 के अधिकारियों को अंतिम चरण तक पहुंचने के बाद अधिकतम 130/-रु. की दो वेतनवृद्धियां और वेतनमान-3 के अधिकारियों को 140/—रु. की एक वेतनवृद्धि दी जाएगी।

नोट :— ऐसे अगले अच्चतर वेतनमान में देय वेतनवृद्धि को पदोन्नति नहीं माना जाएगा। इन वेतनवृद्धियों को प्राप्त करने के बावजूद भी अधिकारी यथास्थिति अपने मूलपद वेतनमान-1 या वेतनमान-2 के विशेषाधिकार, परिलब्धियां, कर्तव्य और जिम्मेदारियों को प्राप्त करेगा।

1-11-87 से विनियम 5(2) को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है :—

5(2) 1-11-1987 से ऐसे अधिकारी जो अधिकतम वेतनमान में पहुंचते हैं या पहुंच चुके हैं और पदोन्नति के अतिरिक्त किसी भी तरह भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को छोड़कर यदि कोई है, वे आगे बढ़ने के योग्य नहीं है। अन्हें अतिरिक्त वेतनवृद्धि की बजाए व्यवसायिक योग्यता भत्ता दिया जाएगा जिसमें सी.ए.आई. आई.बी. परीक्षाओं को पास करने के बाद निम्न अनुसार देय होगा :—

सी.ए.आई. आई. बी. भाग-1 की परीक्षा पास करने पर	एक साल बाद 100/-रु. प्रतिमाह जिसमें से 75/- रु. अधिवार्षिक लाभों के लिए माने जायेंगे।
सी.ए.आई.आर बी. भाग-2 पास करने पर	(1) एक साल बाद 100/-रु. प्रतिमाह जिसमें से 75/-रु. अधिवार्षिक लाभों के लिए माने जायेंगे।
	(2) 2 साल बाद 250/- रु. प्रतिमाह जिसमें 200/-रु. अधिवार्षिक लाभों के लिए माने जायेंगे।

नोट :—यदि एक व्यवसायिक योग्यता भत्ता पाने वाला अधिकारी पदोन्नत हो जाता है तो उस अधिकारी को उच्चतर वेतनमान में भी वेतनमान निर्धारण करते समय उस वेतनमान में सी. ए. आई. बी. पास करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धियां उपलब्धता के आधार पर दी जाएंगी और यदि उस वेतनमान

में कोई वेतनवृद्धि नहीं है या केवल एक वेतनवृद्धि उपलब्ध है तो अधिकारी वेतनवृद्धियों की बजाय व्यावसायिक योग्यता भत्ता पाने का पात्र होगा ।

1-11-87 से विनियम 21 को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है :—

(21) 1-11-87 से मंहगाई भत्ता योजना निम्न प्रकार से होगी :—

(1) अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामान्य आधार वर्ष 1960—100 की त्रैमासिक औसत की प्रत्येक वृद्धि एवं ह्रास पर 600 अंकों के ऊपर 4 अंक पर मंहगाई भत्ता देय होगा ।

(2) मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दरों के अनुसार देय होगा :—

(1) 1650/- रु. मूल वेतन का 0.67—,

(2) रु. 1650/- से रु. 2835/- मूल वेतन का 0.55%

(3) रु. 2835/- से 4020/-रु. मूलवेतन का 0.33%

(4) रु. 4020/-तक एवं उससे ऊपर मूल वेतन का 0.17%

1-11-87 से विनियम 22 में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है :—

22(1) 1-11-1987 से अधिकारी को बैंक द्वारा दी गई आवास सुविधा पर उस वेतनमान में उसके मूलवेतन के पहले चरण का 6%अ या आवास के मानक किराये में से जो भी कम हो उस वसूल किया जायेगा ।

(2) 1-11-1987 से जिस अधिकारी को बैंक द्वारा आवास सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो उसे निम्नलिखित दर पर मकान किराया भत्ता दिया जाएगा :—

जहां कार्य का स्थान निम्नलिखित में से है	मकान किराया भत्ता देय होगा
(1) "अ" श्रेणी के बड़े शहर जिन्हें समय-समय पर भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों और प्रोजेक्ट एरिया केन्द्र के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाता है ।	मूलवेतन का 14% अधिकतम 375/- रु. प्रतिमाह ।
(2) प्रोजेक्ट एरिया केन्द्र के "ब" वर्ग के और क्षेत्र-1 के अन्य क्षेत्र ।	मूलवेतन का 12% अधिकतम 300/- रु. प्रतिमाह ।
(3) क्षेत्र-2 और राज्यों की राजधानियां और केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानियां जो कि अपरोक्त खंड (1) और (2) में आती हैं ।	मूलवेतन का 10% अधिकतम 250/-रु. प्रति माह ।
(4) क्षेत्र-3	मूलवेतन का 8% अधिकतम 225/-रु. प्रतिमाह ।

परन्तु यदि एक अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा अपने आवास स्थान के लिए दिये गये वास्तविक किराये भत्ते के लिए उसको नियम मूलवेतन के प्रथम चरण के 6% से अधिक परन्तु अधिकतम देय मकान किराये भत्ते का अधिकतम 160% मकान किराया भत्ता देय होगा ।

(3) जब एक अधिकारी अपने स्वयं के निवास स्थान में रहता है तो वह उपबंध के उपविनियम (2) के अनुसार पूरा मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा। मानो वह नीचे दिए गये "क" या "ख" में से उच्चतर के 12वें भाग के बराबर राशि का मासिक किराये के रूप में संदाय कर रहा है :—

"क"

निम्नलिखित का योग :—

(1) निवास स्थान के बाबत संदेय नगरपालिका कर और

(2) निवास स्थान की पूंजी लागत का 12% जिसके अन्तर्गत भूमि की लागत भी है और यदि निवास स्थान किसी भवन का भाग है तो उस भूमि की पूंजी लागत का वह अनुपातिक हिस्सा जो उस निवास स्थान का माना जा सकता है, किन्तु इसके अन्तर्गत विशेष फिक्सचर, जैसे वातानुकूलन नहीं है या

"ख"

निवास स्थान के नगरपालिका निर्धारण के लिए लिया गया वार्षिक किराया मूल्य ।

स्पष्टीकरण :

(1) इस विनियम के प्रयोजन के "मानक किराया" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(क) यथास्थिति आवास स्थान यदि बैंक का है तो मानक किराया तदनुसार भारत सरकार द्वारा प्रचलित गणना की प्रक्रिया द्वारा गिना जायेगा ।

(ख) जहां आवास स्थान बैंक द्वारा किराये पर लिया जाता है तो संविदा किराया बैंक द्वारा देय होगा ।

1-11-1987 से विनियम 23(1) में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है :—

23(1) 1-11-87 से यदि वह नीचे दी गई तालिका के कालम-1 में उल्लिखित क्षेत्र में सेवा कर रहा है तो उसे कालम-2 में उल्लिखित दर पर नगर प्रतिकार भत्ता दिया जायेगा, बशर्ते कि वह स्थान गोआ राज्य में हो या पणजी और मारमोगोआ के शहरी क्षेत्र में हो जहां 1-11-1987 से नगर प्रतिकार भत्ता ही दिया जाता था वहां भी 2-8-1988 से यह दिया जायेगा ।

स्थान	दर
1	2
(क) क्षेत्र-1 और गोआ राज्य के स्थान	मूल वेतन का 6 1/2% अधिकतम 220/- रु. प्र. मा.
(ख) 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थानों एवं राज्यों की राजधानियों और चंडीगढ़, पाण्डिचेरी और पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्र जो कि उपरोक्त (क) क्षेत्र में नहीं आते हैं ।	मूलवेतन का 4% अधिकतम 135/-रु. प्रति माह

1.11.87 से विनियमन 23(5) निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है :—

23(5) 1.11.87 से यदि किसी अधिकारी को बैंक के बाहर सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह उन परिलब्धियां को प्राप्त करने का विकल्प दे सकेगा जो उस पद से संलग्न है जिस पर उसे प्रतिनियुक्त किया गया है । वैकल्पिक रूप से वह अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन का 12% अधिकतम 700/- रु. प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते प्राप्त कर सकेगा जो वह उस दशा में प्राप्त करता जब उसे उस स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात किया जाता ।

परन्तु यदि उसे ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है जो उसी स्थान पर अवस्थित है जहां वह अपनी प्रतिनियुक्ति से ठीक पूर्व तैनात था तो वह अपने वेतन के 6% अधिकतम रु. 350/ के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करेगा ।

इसके अतिरिक्त अधिकारी यदि बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में या बैंकिंग सेवा बोर्ड में प्रतिनियुक्ति किया जाता है तो वह मूल वेतन का 6% अधिकतम 350 /-रु. प्रतिनियुक्ति का भत्ता पाने का पात्र होगा ।

1-11-87 से विनियमन 23(6) में निम्नलिखित प्रकार से संशोधन किया जाता है :—

23(6) 1-11-87 से यदि उसे उच्चतर वेतनमान में एक ही समय लगातार 7 दिन से कम या कैलेंडर महीने के 7 दिन के लिये स्थानापन्न के रूप में काम करने की अपेक्षा की जाती है तो वह स्थानापन्न समय के दौरान मूलवेतन का 6% अधिकतम 250/- रु. प्रतिमाह की दर से स्थानापन्न भत्ता प्राप्त करेगा । स्थानापन्न भत्ता केवल भविष्य निधि के प्रयोजन के लिए ही आंका जायेगा दूसरे प्रयोजनों के लिए नहीं ।

परन्तु यदि कोई अधिकारी मात्र विनियम 6 के अधीन पदों के प्रवर्गीकरण के पुनरावलोकन के परिणाम स्वरूप उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न के रूप में कार्य करता है तो वह उस तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ते का पात्र नहीं होगा जिस तिथि को प्रवर्गीकरण का पुनरावलोकन प्रभावी होता है ।

वित्तीय वर्ष 1989-90 से विनियम 23(7) में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है :—

23(7) वित्तीय वर्ष 1989/90 से यदि उसकी किसी ऐसी शाखा में नियुक्ति की जाती है जहां 31 मार्च और 30 सितम्बर की लेखाबंदी की जाती है तो वह प्रत्येक संवरण के लिए 150/- रु. संवरण भत्ता पाने का पात्र होगा ।

1-11-87 से विनियमन 23(10) में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है :—

23(10) 1-11-87 से यदि वह नीचे दी गई सारणी के कालम -1 में उल्लिखित स्थान पर सेवारत है तो वह कालम-2 में उस स्थान के सामने उल्लिखित दर पर पहाड़ और ईंधन भत्ता प्राप्त करेगा :—

स्थान	दर
1	2
(1) यदि स्थान 1000 मीटर या उससे उच्चतर परन्तु 1500 मीटर और मरकरा शहर से कम ऊंचाई पर है तो	मूल वेतन का 5% अधिकतम 130/- रु. प्रतिमाह
(2) यदि स्थान 1500 मीटर या उससे उच्चतर परन्तु 3000 मीटर से कम ऊंचाई पर है तो	मूल वेतन का 6 1/2% अधिकतम 160/- रु. प्रतिमाह
(3) यदि स्थान 3000 मीटर या उससे उच्चतर ऊंचाई पर है तो	मूल वेतन का 15% अधिकतम 600/- रु. प्रतिमाह

नोट :— (क) अधिकारी जो 750 मीटर तक की ऊंचाई वाले ऐसे स्थान पर सेवारत है जो चारों तरह से ऊंची पहाड़ियों से घिरा है और जहां 1000 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई को पार किये बिना नहीं पहुंचा जा सकता, तो उनको 1000 मीटर या उससे उच्चतर ऊंचाई वाले क्षेत्र में उल्लिखित दर पर पहाड़ और ईंधन भत्ता देय होगा ।

(ख) उपरोक्त श्रेणी में न आने वाले क्षेत्र, जहां वर्तमान में पहाड़ और ईंधन भत्ता दिया जाता है, वापिस ले लिया जायेगा। 1-11-1987 से 30-4-89 के दौरान दिया गया भत्ता वापिस नहीं लिया जाएगा। यदि कोई अधिकारी उससे या उससे पूर्व की किसी तिथि को उसी केन्द्र पर उसी वेतनमान में तैनात है तो उसे 1 मई, 1989, से आगे तक भत्ते की राशि पुराने प्रावधानों के अनुसार 30 अप्रैल तक मिलती रहेगी ।

विनियम 24(1) में निम्नप्रकार से संशोधन किया जाता है :—

24(1) एक अधिकारी अपनी और अपने परिवार पर खर्च किये गये वास्तविक चिकित्सा व्ययों की निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा :—

(क) चिकित्सा व्यय :—

1-11-87 से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-1 में विनिर्दिष्ट वेतनमान में किसी अधिकारी और उसके कुटुम्ब के चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति स्वयं अधिकारी के इस प्रमाणपत्र के आधार पर कि उसने ऐसा व्यय किया है, जिसके समर्थन स्वरूप दावा की गई राशि के लिए लेखा विवरण दिया जाएगा, सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सीमा तक की जा सकेगी :—

सारणी

वेतन	वार्षिक प्रतिपूर्ति की सीमा
1	2
रु. 2100 से रु. 3060/ प्र.मा.	रु. 600/-
रु. 3061/- प्र. मा. और उससे ऊपर	रु. 800/-

नोट :— किसी अधिकारी को किसी भी हालत में 3 साल से अधिकतम संचित चिकित्सा व्यय के लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

स्पष्टीकरण :—

इस विनियम के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी के "परिवार" में केवल विवाहित पत्नी, पूर्ण निर्भर बच्चों और पूर्ण निर्भर माता-पिता को ही माना जाएगा ।

(ख) अस्पताल में भर्ती व्यय :—

(1) दिनांक 1-4-1987 को एवं उन सभी मामलों में जिनमें अस्पताल में भर्ती होना अपेक्षित है उसके लिए एक अधिकारी को स्वयं अपने मामले में 90% की और परिवार के सदस्यों के मामले में 60% की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

(5) दिनांक 1-4-198 को एवं से निम्नलिखित बीमारियों के लिए जिनमें मान्यता प्राप्त अस्पताल के अधिकारियों और बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित पत्र देने पर जिनमें आवासीय चिकित्सा अपेक्षित हो तो ऐसे व्ययों को अस्पताल व्यय माना जायेगा एवं अधिकारी के मामले में 90 % और परिवार के सदस्यों के मामले में 60% व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी :—

कैंसर, टी.बी., लकवा, हृदयरोग का उपचार, ट्यूमर, चेचक, फेंफड़े की सूजन (प्लूरसी), डिपथीरिया, कुष्ठ रोग, गुर्दे का उपचार। (निवास स्थान) ।

1-11-87 से विनियम 25 में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है :—

विनियम 25—दिनांक 1-11-87 को एवं से कोई भी अधिकारी अधिकार के रूप में बैंक द्वारा निवास स्थान दिये जाने का हकदार नहीं होगा, किन्तु बैंक अधिकारी द्वारा अपने प्रथम वेतन का 6% या निवास स्थान का का मानक किराया इनमें से जो भी कम हो, उसका संदाय करने पर निवास स्थान की व्यवस्था कर सकेगा । यदि उस अधिकारी को आवास स्थान पर फर्नीचर उपलब्ध करवाया जाता है तो बैंक उससे उसके प्रथम वेतन के डेढ़ प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि भी वसूल करेगा । इसके अतिरिक्त जहां बैंक ने ऐसे निवास स्थान की व्यवस्था की है वहां विद्युत्, जल, गैस और सफाई के लिए प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किये जायेंगे ।

अस्वस्थता अवकाश

1-1-89 से विनियम 34(1) में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है :—

34(1) दिनांक 1-1-1989 को एवं से प्रत्येक अधिकारी प्रत्येक पूरे वर्ष की सेवा के लिए 30 दिन की और पूर्ण सेवाकाल के दौरान अधिकतम 18 महीने की बीमारी की छुट्टी का पात्र होगा । ऐसी छुट्टियां पूर्ण सेवाकाल के दौरान 540 दिन तक की संचित की जा सकेंगी । और बैंक की स्वीकार्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र या बैंक के विवेकानुसार खर्चे पर नाम निर्दिष्ट चिकित्सा व्यवसायी द्वारा दिये गये चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही इस प्रकार का अवकाश लिया जा सकेगा ।

अतिरिक्त अस्वस्थता अवकाश

1-1-89 से विनियमन 35 में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है :—

(35) 1-1-89 को एवं से कोई अधिकारी अपनी 24 वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है, तो वह 24 साल के

बाद प्रत्येक वर्ष के लिए एक महीने की दर से अधिकतम 3 महीने की अतिरिक्त बीमारी की छुट्टी पाने का पात्र होगा ।

विनियमन 41 में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है:—

विनियमन (41) बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से जब कभी किसी अधिकारी से ड्यूटी पर यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है तब निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे:—

(1) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड का अधिकारी रेल द्वारा प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित शयनयान से यात्रा कर सकता है । व्यवसाय की तात्कालिक आवश्यकता या सार्वजनिक हित में संस्वीकृत प्राधिकारी की अनुमति से वह (मितव्ययी श्रेणी) में हवाई यात्रा कर सकता है ।

(2) मध्यम प्रबंधन ग्रेड का अधिकारी रेल द्वारा प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित शयनयान में यात्रा कर सकता है परन्तु 500 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर वह (मितव्ययी श्रेणी) में हवाई यात्रा कर सकता है । इसके अतिरिक्त वह व्यवसाय की तात्कालिक आवश्यकता या सार्वजनिक हित में संस्वीकृत प्राधिकारी की अनुमति से (मितव्ययी श्रेणी) में कम दूरी के लिए भी हवाई यात्रा कर सकता है ।

(3) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड या उच्च कार्यकारी ग्रेड का अधिकारी रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी से या वायुयान (मितव्ययी श्रेणी) द्वारा यात्रा कर सकता है ।

(4) वरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यकारी ग्रेड के अधिकारी वायुयान या रेल द्वारा न जुड़े हुए स्थानों के बीच कार द्वारा यात्रा कर सकेंगे परन्तु यह दूरी 500 किलोमीटर से अधिक न हो। किन्तु, जब दो स्थानों के बीच दूरी के अधिकांश भाग में केवल वायुयान या रेल द्वारा यात्रा की जा सकती है तो शेष दूरी की यात्रा प्रसामान्यतः कार द्वारा की जानी चाहिए ।

यात्रा भत्ता आदि :—

1-11-87 से विनियमन 42(2) में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है :—

4 (2) दिनांक 1-11-87 को एवं से स्थानान्तर पर अधिकारी को मालगाड़ी द्वारा अपने सामान के परिवहन के लिए व्यय की निम्नलिखित सीमाओं तक प्रतिपूर्ति की जायेगी :—

वेतनमान	यदि उसका परिवार है	यदि उसका परिवार नहीं है
2100/- रु. प्रति माह से 3060/- रु. प्र.मा. तक	3000 कि.ग्रा.	1000 कि.ग्रा.
रु. 3061/- प्रतिमाह से और उस से अधिक	पूरा वैगन	2000 कि.ग्रा.

भविष्य निधि

विनियम 45(2) में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है :—

45(2) बैंक समय-समय पर भविष्य निधि पर लागू नियमों के अनुसार भविष्य निधि में अभिदान करेगा। परन्तु उसके द्वारा अभिदाय की गई रकम अधिकारी के 1-11-1987 से 31-12-88 तक वेतन के 80% का 10% 1-1-89 से 31-12-1989 तक वेतन के 90% का 10% और 1-1-90 से वेतन के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उपदान :—

विनियम 46(2) में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है :—

46(2) किसी अधिकारी को संदेय उपदान की रकम सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए एक मास का वेतन किन्तु अधिक से अधिक 15 मास का वेतन होगा।

परन्तु यदि किसी अधिकारी ने तीस वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है तो वह उपदान के रूप में, तीस वर्ष से आगे सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए आधे मास के वेतन की दर से अतिरिक्त राशि के लिए पात्र होगा।

नोट :—यदि सेवा अवधि पूरी करने पर शेष अंश 6 महीने या अधिक है तो उस समय के लिये यथानुपात उपदान देय होगा।

एन. एस. गुजराल, उप-महाप्रबन्धक
(कार्मिक)

PUNJAB & SIND BANK

(Personnel Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 1990

No. PSB/STAFF/OSR/1990.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of PUNJAB & SIND BANK in consultation with the

Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the PUNJAB & SIND BANK (Officers') Service Regulations 1982.

Short Title and Commencement :—

(i) These regulations may be called the Punjab and Sind Bank (Officers) Service (Amendment) Regulations 1982.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in official Gazette.

Regulation 3(i) and 3(m) stands amended as under :—

3(i) 'pay' means basic pay including stagnation increment.

3(ii) 'salary' means the aggregate of the pay and dearness allowance.

On and from 1-11-1987, Regulation 4(1) stands amended as under :—

4(1) On and from 1-2-1984, there shall be the following four grades for officers with the scal of pay specified against each of the grades :—

(a) Top Executives Grade :
Scale VII Rs. 4100-125-4600
Scale VI Rs. 3850-125-4300

(b) Senior Management Grade :
Scale V Rs. 3575-110-3685-115-3800
Scale IV Rs. 2925-105-3450

(c) Middle Management Grade :
Scale III Rs. 2650-100-3250
Scale II Rs. 1825-100-2925

(d) Junior Management Grade :

Scale I Rs. 1175-60-1475-70-1895-EB 95-2275-100-2675

On and from 1-11-1987, the scales of pay specified against each grade shall be as under :—

(a) Top Executive Grade :
Scale VII Rs. 6400-150-7000
Scale VI Rs. 5950-150-6550

(b) Senior Management Grade :
Scale V Rs. 5350-150-5950
Scale IV Rs. 4520-130-4910-140-5050-150-5350

(c) Middle Management Grade :
Scale III Rs. 4020-120-4260-130-4910
Scale II Rs. 3060-120-4260-130-4390

(d) Junior Management Grade :
Scale I Rs. 2100-120-4020

Provided that every officer who is governed by the scale of pay as in force on the appointed date having been fitted into the said scale of pay in accordance with the guidelines of the Government issued under Regulation 8, shall be fitted in the scale of pay set out above in accordance with the guidelines of the Government.

On and from 1-11-1987, Regulation 5(1) stands amended as under :

5(1) On and from 1-11-1987, the increments shall be granted subject to the following sub-clauses :—

(a) The increments specified in the scales of pay set out in Regulation 4(1) shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due.

(b) Officers in Scale I and Scale II, 1 year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar.

(c) Officers including those referred to in (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three complete years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III as the case may be subject to a maximum of two such increments of Rs. 130/- each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs. 140/- for officers in the last stage of Scale III.

NOTE : Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

On and from 1-11-1987, Regulation 5(2) stands amended as under :—

5(2) On and from 1-11-1987 officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments in consideration of passing CAIIB Examination as under :—

Those who have passed only Part I of CAIIB	Rs. 100/- p.m. after one year, of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits.
Those who have passed both parts of CAIIB	(i) Rs. 100/- p.m. after 1 year, of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits. (ii) Rs. 250/- p.m. after 2 years of which Rs. 200/- shall rank, for superannuation benefits.

Note : If an officer who is in receipt of Professional Qualification Allowance is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment into such higher scale, additional increment(s) for passing CAIIB to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale or only one increment is available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Allowance in lieu of increment(s).

On and from 1-1-1987 Regulation 21 stands amended as under :

21. On and from 1-11-1987, Dearness Allowance Scheme shall be as under :

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960 = 100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :—

(i) 0.67% of 'Pay' upto Rs. 1650/- plus

(ii) 0.55% of 'Pay' above Rs. 1650/- to Rs. 2835/- plus,

(iii) 0.33% of 'Pay' above Rs. 2835/- to Rs. 4020/- plus,

(iv) 0.17% of 'Pay' above Rs. 4020/-.

On and from 1-11-1987 Regulation 22 stands amended as under :

Reg. 22(1) On and from 1-11-1987, where an officer is provided with residential accommodation by the bank, 6 per cent of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(2) On and from 1-11-1987, where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the following rates :—

Where the place of work is in	HRA payable shallbe
(i) Major 'A' Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government and project Area Centres in Group 'A'.	14% of the pay subject to a maximum of Rs. 375/-
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres Group 'B'.	12% of the pay subject to a maximum of Rs. 300/-
(iii) Area II and I state capitals and capitals of Union Territories not covered by (i) & (ii) above	10% of the pay subject to a maximum of Rs. 250/-.
(iv) Area-III	8% of the pay subject to a maximum of Rs. 225/-.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 6 per cent of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, with a maximum of 160 per cent of the maximum House Rent Allowance payable otherwise.

(3) Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to sub-reguation (2) as if he were paying by way of monthly rent a sum equal to one twelth of the higher of A or B below :—

A

The aggregate of :—

(i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation; and

(ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air conditioners or

B

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation.

Explanation :—

(1) For the purpose of this Regulation "standard rent" means :—

(a) In the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calcualted in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government;

(b) Where accommodation has been hired by the Bank, contractual rent payable by the Bank.

On and from 1-11-1987, Regulation 23(1) stands amended as under :—

Reg. 23(1) On and from 1-11-1987, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place, provided that the City Compensatory Allowance at places in the State of Goa other than urban agglomeration of Panaji and Marmugao, where it was not payable on 1-11-1987 shall be payable with effect from 20-8-1988.

	Places	Rates
	1	2
(a)	Places in Area I and in the State of Goa	6 1/2% of basic pay subject to a maximum of Rs. 220/- per month.
(b)	Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	4% of basic pay subject to a maximum of Rs. 135/- per month.

On and from 1-11-1987 regulation 23(v) stands amended as under :—

Reg. 23(v).—On and from 1-11-1987, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed. Alternatively, he may in addition to his pay, draw a deputation allowance of 12% of pay maximum Rs. 700|- and such other allowances as he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place.

Provided that were he is deputed to an organisastation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation he shall receive a deputation allowance equal to 6% of his pay, maximum Rs. 350|-.

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member or to Banking Service Recruitment Board shall be eligible for deputation allowance at 6% of his pay, maximum Rs. 350|-.

On and from 1-11-1987 Regulation 23(vi) stands amended as under :—

Reg. 23(vi).—On and from 1-11-1987 if he is required to officiate in post in a higher scale for continuous period of not less than 7 days at a time or an aggregate of 7 days during a calender month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay subject to a maximum of Rs. 250|- p.m. for the period for which he officiates. Officiating Allowance will rank as pay for the purposes of Provident Fund and not for other purpose. Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under Regulation 6, he shall not be eligible for the Officiating Allownace for a period one year from the date on which the review of the categorisation takes effect.

On and from Financial Year 1988|90 Regulation 23(vii) stands amended as under :—

Reg. 23(vii).—On and from financial year 1989-90 if he is posted at a branch where books are closed on 31st March and 30th September a closing allowance of Rs. 150|- for each of the two closings.

On and from 1-11-1987 Regulation 23(x) stands amended as under :—

Reg. 23(x).—On and from 1-11-1987, if he is servicing in a place mentioned in column 1 of the table below, a hill and fuel allowance at the rate mentioned in column 2 thereof :—

Place	Rate
1	2
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town.	5% of pay subjecto a maximum of Rs. 130/-
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres.	6-1/2% of pay subject to a maximum of Rs. 160/-
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	15% of pay subject to a maximum of Rs. 600/-.

Note : (a) Officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, will be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centres with an altitude of 1000 metres and above.

(b) Hill and Fuel Allowance presently paid at an centre not covered by the above classification shall stand withdrawn. The allowance already paid between 1-11-1987 and 30-4-1989 shall not be recovered. From 1st May, 1989, onwards the quantum of allowance paid as on 30th April under the old provisions alone shall be protected in the case of officers posted at that centre on or before that date till the time they remain posted at that centre in the same scale of pay.

Regulation 24(1) stands amended as under :

Reg. 24(l).—An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis namely :—

(a) Medical Expenses :

On and from 1-11-1987

Reimbursement of medical expenses of an officer in the pay range specified in column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in column 2 thereof :

TABLE

Pay Range	Reimbursement limit p.a.
1	2
Rs. 2100/- to Rs. 3060/- p.m.	Rs. 600/-
Rs. 3061/- p.m. and above	Rs. 800/-

Note :—An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

Explanation :

"FAMILY" of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(b) Hospitalisation Expenses :

(i) On and from 1-4-1989, hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 90% in the case of an officer and 60% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation.

(v) On and from 1-4-1989, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and bank's Medical Officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 90% in the case of an officer and 60% in the case of his family members :—

Cancer, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Tumour, Small Pox, Pleursey, Diphtheria, Leprosy, Kidney Ailment.

On and from 1-11-1987 regulation 25 stands amended as under :—

Reg. 25.—On and from 1-11-1987.

No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank. It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation on payment by the officer of 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation whichever is less. Provided that a further sum equal to 1-1/2 of pay in the first stage of the scale of pay will be recovered by the Bank from an officer if furniture is provided at such residence. Provided further that, where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.

On and from 1-1-1989 regulation 34(1) stands as under :—

Reg. 34(1). On and from 1-1-1989, an officer shall be eligible for 30 days of sick leave for each completed year of service subject to a maximum of 18 months during the entire service. Such leave can be accumulated upto 540 days during the entire service and may be availed of only production of medical certificate by a medical practioner acceptable to the bank or at the bank's discretion nominated by it at its cost.

On and from 1-1-1989 regulation 35 stands amended as under :—

Reg. 35. On and from 1-1-1989, where an officer has put in a service of 24 years, he shall be eligible to additional sick leave at the rate of one month for each year of service in exces of 24 years subject to a mimum of three months of additional sick leave.

Regulation 41 stands amended as under :

Reg. 41

On and from the date specified by the Board the following provisions shall apply whenever an officer is required to travel on duty :—

(i) An officer in Junior Management Grade may travel by 1st Class or AC Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(ii) An officer in Middle Management Grade may travel by 1st Class or AC Sleeper by train. He may, however travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 500 kms. He may, however, travel by air (economy class) even for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(iii) An officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by train AC 1st Class or by air (economy class).

(iv) An officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 kms. However when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car.

On and from 1-11-1987 regulation 42(2) stands amended as under :—

Reg : 42(2)

(i) On and from 1-11-1987 an officer on transfer will be reimbursed his expenses for

transporting his baggage by goods train upto the following limits :—

Pay Range	Where he has Family	Where he has no Family
Rs. 2100/- p.m. to Rs. 3060/- p.m.	3000 kgs.	1000 kgs.
Rs. 3061/- p.m. and above.	Full Wagon	2000 kgs.

Regulation 45(2) stands amended as under :

Reg. 45(2)

The Bank shall contribute to the Provident Fund in accordance with the rules governing the Provident Fund from time to time, provided that the amount contributed by it shall not be more than 10 per cent of 80 per cent of pay on and from 1-11-1987 to 31-12-1988, 10 per cent of 90 per cent of pay on and from 1-1-1989 to 31-12-1989 and 10 per cent of pay on and from 1-1-1990 of the officer.

Regulation 46(2) stands amended as under :

Reg : 46(2)

The amount of Gratuity payable to an officer shall be one month's pay for every completed year of service, subject to maximum of 15 month's pay.

Provided that where an officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of Gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond thirty years.

Note : If the fraction of service beyond completed years of service is six months or more, gratuity will be paid pro-rata for the period.

N. S. GUJRAL, Dy. Gen. Manager (Personnel)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990